

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2013/अग्रहायण 22, 1935

No. 601]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2013/AGRAHAYANA 22, 1935

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन तथा पेट्रोसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2013

स.का.नि. 777(अ).—भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का निस्तारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन उच्च न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त के पद के समवर्ती प्रभार की अवधि को 25.11.2013 से एक वर्ष की अवधि तक के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

डॉ. ए.जे.वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

[फा. सं. 21/21/2002-भोपाल सेल]

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZES

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2013

G.S.R. 777(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby extends the tenure of Shri Justice Rajendra Menon, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year with effect from 25-11-2013 or until further orders, whichever is earlier.

Dr. A.J.V. PRASAD, Jt. Secy.

[F. No. 21/21/2002-B.Cell]

5218 GI/2013